

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन के अंतर्गत हस्तक्षेप

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन, हरत करंति, खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मशिन - ऑयल पाम, प्रधान मंत्री कृषि सचिवाई योजना, जलवायु परविरतन, कुपोषण

मेन्स के लयः

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन के तहत प्रमुख हस्तक्षेप, भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंघति प्रमुख चुनौतयिँ

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में केंद्रीय कृषि और कसिान कल्याण मंत्री ने लोकसभा में लखिति जवाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन में हुई प्रगति पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन:

■ परचिय:

- [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन](#) एक केंद्र प्रायोजति योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में [राष्ट्रीय वकिस परषिद](#) की कृषि उप-समति की सफारशिों के आधार पर की गई थी ।
- इस समति ने [बेहतर कृषि वसितार सेवाओं](#), [प्रौद्योगिकी हस्तांतरण](#) और [वकिंदरीकृत योजना](#) की आवश्यकता पर बल दया जिसके परणामस्वरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन को एक [मशिन मोड कार्यक्रम](#) के रूप में संकल्पति कया गया ।

■ प्रमुख कषेतर:

- इसे मुख्य रूप से [चावल](#), [गेहूँ](#), [दलहन](#) जैसी लकषति फसलों के उत्पादन में धारणीय वृद्धि के साथकदनन, [पोषक अनाज](#) और [तलिहन तक वसितारति कया गया](#) ।
- कृषि वशिषिट उत्पादकता और मृदा की उरवरता की पुनरप्राप्ति
- कृषि कषेतर में शुद्ध आय में वृद्धि

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन के तहत प्रमुख हस्तक्षेप:

- [क्लस्टर प्रदर्शन](#) और [बेहतर पद्धतयिँ](#): कृषि पद्धतयिँ के बेहतर पैकेजों को प्रदर्शति करने वाले क्लस्टर प्रदर्शन आयोजति करने के लयि राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों के माध्यम से कसिानों को सहायता प्रदान की जाती है ।
 - ये प्रदर्शन अनुकूलति फसल की खेती और प्रबंधन की तकनीकों पर प्रकाश डालते हैं ।
- [बीज उत्पादन](#) और [वतिरण](#): कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लयि [उच्च उपज देने वाली कसिँ](#) एवं संकर कसिँ को वकिसति, उत्पादति करने हेतु कसिानों को वतिरति कया जाता है ।
- [कृषि मशीनीकरण](#) और [संसाधन संरक्षण](#): [आधुनिक तथा कुशल कृषि मशीनरी](#) और संसाधन संरक्षण उपकरणों का कार्यान्वयन संसाधन उपयोग को अनुकूलति करते हुए उन्नत कृषि पद्धतयिँ को बढ़ावा देता है ।
 - [प्रसंस्करण](#) और [कटाई के बाद उपकरणों](#) में नविश [समग्र मूल्य शृंखला](#) को बढ़ाता है तथा फसल के बाद के नुकसान को कम करता है ।
- [पौध संरक्षण](#) और [पोषक तत्त्व प्रबंधन](#): कीटों एवं बीमारयिँ से फसलों की सुरक्षा के उपाय, प्रभावी [पोषक तत्त्व प्रबंधन](#) तथा [मृदा सुधार रणनीतयिँ](#) के साथ मलिकर स्वस्थ पौधों के वकिस में योगदान करते हैं ।
- [तलिहन उत्पादन पर केंद्रति दृष्टिकोण](#): तलिहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेल में आत्मनरिभरता हासलि करने के लयि [NFSM-तलिहन पहल तैयार](#) की गई है । इसमें शामिल है:
 - [बीज सबसडि और वतिरण](#): वतितीय प्रोत्साहन एवं सबसडि गुणवत्ता वाले बीजों की खरीद तथा वतिरण की सुवधा प्रदान करती है, जिससे बेहतर फसल पैदावार सुनिश्चिति होती है ।

- **प्रदर्शन और प्रशिक्षण:** ब्लॉक प्रदर्शन (Block Demonstrations), फ्रंट-लाइन प्रदर्शन (Front-Line Demonstrations) तथा क्लस्टर फ्रंट-लाइन प्रदर्शन (Cluster Front-Line Demonstrations) प्रभावी तलिहन खेती प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिये मंच के रूप में कार्य करते हैं।
- **बुनियादी ढाँचा और इनपुट वितरण:** जल-वाहक उपकरण, पादप संरक्षण उपकरण, वशिष्ट मृदा, सूक्ष्म पोषक तत्त्व तथा जैव-अभिकर्ता जैसे आवश्यक संसाधन तलिहन की खेती को उन्नत करते हैं।

नोट:

- **खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मशिन - ऑयल पाम (NMEO-OP):** खाद्य तेल आयात को कम करने के लिये अगस्त 2021 में NMEO-OP की स्थापना की गई।
 - यह मशिन पाम ऑयल की खेती के वसितार पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य कच्चे पाम ऑयल का उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाना और देश के आयात बोझ को कम करना है।
- **सतत कृषि हेतु जल प्रबंधन:**
 - **प्रतिबूंद अधिक फसल (PDMC):** इसे वर्ष 2015-16 में लॉन्च किया गया था, PDMC ड्रिप और स्प्रिकलर संचाई जैसी सूक्ष्म संचाई प्रणालियों का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।
 - यह स्थान-वशिष्ट वैज्ञानिक तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर भी जोर देता है।
 - **कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (जल प्रबंधन) [CADWM]:** यह प्रधानमंत्री कृषि संचाई योजना का भाग है, जिसका उद्देश्य संचाई दक्षता को बढ़ाना है।
 - इसमें अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिये पंकतबिद्ध फील्ड चैनलों और भूमिगत पाइपलाइनों का निर्माण शामिल है।
 - **जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (BWUE):** इसे विभिन्न कृषेत्रों में कुशल जल उपयोग को वनियमिति करने के लिये स्थापित किया गया है, जो संचाई, उद्योगों और घरेलू समायोजनों (Domestic Settings) में जल उपयोग दक्षता में सुधार की नीतियों को बढ़ावा देता है।
 - **राष्ट्रीय जल मशिन (NWM):** NWM ने वर्ष 2019 में 'सही फसल' अभियान शुरू किया, जो जल की कमी वाले कृषेत्रों में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिये प्रोत्साहित करता है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य, जल-कुशल और कृषि-जलवायु परस्थितियों के अनुरूप हों।

भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- **कृषि चुनौतियाँ:** भारत का कृषि कृषेत्र जलवायु परिवर्तन, कीटों के संक्रमण और मटिटी के क्षरण के कारण अप्रत्याशित मौसम पैटर्न जैसी विभिन्न चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है।
 - इन कारकों से फसल की पैदावार कम हो सकती है और भोजन की कमी हो सकती है।
- **भूमि विखंडन:** वरिष्ठ कानूनों की वजह से भूमि के उपवर्गों के कारण भूमि जोत छोटी और खंडित हो गई है।
 - हालाँकि इससे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में बाधा आती है लेकिन ये उत्पादकता को बढ़ा सकता है।
- **विविधता का अभाव:** कुछ प्रमुख फसलों पर अत्यधिक निर्भरता आहार विविधता को सीमित करती है। उचित पोषण के लिये विविध आहार आवश्यक है और चावल तथा गेहूँ जैसी कुछ फसलों पर जोर कृषि में योगदान कर सकता है।
- **खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें:** वैश्विक और घरेलू खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव कमजोर आबादी के लिये आवश्यक खाद्य पदार्थों को अप्राप्य बना सकता है।
 - आपूर्ति शृंखला में व्यवधान की वजह से मूल्य में अस्थिरता के कारण खाद्य असुरक्षा में अचानक वृद्धि हो सकती है।

आगे की राह

- **कृषि-पारस्थितिकी कृषेत्रीकरण:** उन्नत भू-स्थानिक विश्लेषण का उपयोग करके वसित कृषि-पारस्थितिकी कृषेत्रीकरण मानचित्र बनाए जाने चाहिये।
 - इससे वशिष्ट कृषेत्रों को उनकी प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर सबसे उपयुक्त फसलों की पहचान करने में मदद मिलेगी, इस प्रकार संसाधन उपयोग को अनुकूलित किया जा सकेगा और फसल की वफिलता के जोखिम को कम किया जा सकेगा।
- **शहरी कृषेत्रों में खाद्य भूदृश्य:** शहरी नविसियों को अपने लॉन और अपर्युक्त स्थानों को खाद्य परदृश्य, फल एवं सबजियाँ उगाने में बदलने के लिये प्रोत्साहित करना।
 - यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण स्थानीय खाद्य उत्पादन में योगदान देता है और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाता है।
- **अपशिष्ट जल से पोषक तत्त्व पुनर्प्राप्ति:** अपशिष्ट जल एवं जैविक कचरे से पोषक तत्त्व प्राप्ति के लिये प्रणाली को लागू करना, इसके पश्चात् इन पोषक तत्त्वों को उर्वरकों में परिवर्तित करना।
 - यह सथैतिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करता है और साथ ही जल प्रदूषण का भी निपटारा करता है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कीट का पता लगाना:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित-संचालित कैमरे एवं सेंसर वकिसति करना जो पौधों के स्वास्थ्य में सूक्ष्म परिवर्तनों का विश्लेषण करके लक्षित हस्तक्षेप की अनुमति देने के साथ व्यापक कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता को कम कर कीट एवं बीमारी के प्रकोप का शीघ्र पता लगा सकते हैं।
- **एकीकृत ऊर्जा का उपयोग कर खेती:** कृषि को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के साथ संयोजित करना।
 - फसल वाले कृषेत्रों में सौर पैनलों को लगाया जा सकता है, जो छाया प्रदान करते हैं और जल के वाष्पीकरण को कम करते हैं, साथ ही कृषि उपकरणों को विद्युत प्रदान करने के लिये स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कयि गए प्रावधानों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL)' की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं ।
2. राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, घर की मुखिया होगी ।
3. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद छह महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी का 'टेक-होम राशन' मलिता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

??????????:

प्रश्न. मूल्य सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से बदलने से भारत में सब्सिडी का परदृश्य कसि प्रकार बदल सकता है? चर्चा कीजयि । (2015)

स्रोत: पी.आई.बी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/interventions-under-national-food-security-mission>

